न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 219/2022

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 40 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

—— वादीगण

बनाम

1. तरसेम सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. सुखविन्द्र कौर पत्नी श्री जगतार सिंह जाति मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शाखा प्रबन्धक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा, श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादी)
	अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1,2)
	पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 10.01.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण गांव 10 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी है तथा वादीगण का पेशा खेती है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 10 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 112/81 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2073–2076) का मुरब्बा नम्बर 7, 25 की कुल 3.795 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 सुखदीप सिंह के नाम से 334/1265 हिस्सा यानि 1.002 है० कृषि भूमि व वादी संख्या 2 हरप्रीत सिंह के नाम से 1528/3795 हिस्सा यानि 1.528 है० प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है० कृषि भूमि व इसी चक 10 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या खाता संख्या 58/78 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2073–2076) का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 2.530 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 सुखदीप सिंह के नाम से 1/10 हिस्सा यानि 0.253 है० कृषि भूमि व वादी संख्या 2 हरप्रीत सिंह के नाम से 1/10 हिस्सा यानि 0.253 है० व प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से 4/5 हिस्सा यानि 2.024 है० कृषि भूमि व इसी चक 10 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 65/50(मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 5.060 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 सुखदीप सिंह के नाम से 411/1265 हिस्सा यानि 1.644 है0 कृषि भूमि व वादी संख्या 2 हरप्रीत सिंह के नाम से 329/1012 हिस्सा यानि 1.645 है0 प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से 203/1265 हिस्सा यानि 0.812 है० कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 सुखविन्द्र कौर के नाम से 959/5060 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

...के अनुसार ... में दर्ज कागजात माल है । उक्त भूमि संयुक्त की ... है तथा कब्जा भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त चला आ रहा है, ... हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते है, मगर रकबा संयुक्त खाता में ... होने के कारण वादीगण अपने हिस्सा के रकबा के सुधार कार्य करवा पाने में असमर्थ है ... आबियाना आदि अदा करने व पानी की बारी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है तथा वादीगण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते है। इसलिए वादीगण उक्त रकबा का खाता विभाजन करवा कर किलावाईज रकबा अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से बार बार आग्रह किया है कि वह उक्त संयुक्त खाता की भूमि का सहमति से बंटवारा करवा किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लेवे, मगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आज कल, आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे, मगर अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह उन्होंने सहमति से बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है । उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है यह कि प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है । वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया :–

(1) डिक्री खाता विभाजन वाके चक 10 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 112/81 का मुरब्बा नम्बर 7, 25 की कुल 3.795 है0 नहरी कृषि भूमि, खाता संख्या 58 / 78 का मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 2.530 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि, चक 7 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 65 / 50 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 5.060 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि पारित की जाकर, वादीगण के हक वा हिस्सा की भूमि किलावाईज वादीगण केनाम से दर्ज करवाई जावे तथा अलग खाता कायम किया जावे।

(2) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः चक 10 वाई के खाता संख्या 58/78 का मुरब्बा नम्बर 7 की 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से दर्ज 4/5 हिस्सा रकबा का व इसी चक 10 वाई के खाता संख्या 112/81 के मुरब्बा नम्बर 7 व 25 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा का वादीगण सुखदीप सिंह व हरप्रीत सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह का नाम कलमजन कर उक्त रकबा वादीगण सुखदीप सिंह व हरप्रीत सिंह के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। इसी प्रकार चक 7 वाई के खाता संख्या 65/50 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से वादी सुखदीप सिंह के नाम से दर्ज 411/1265 हिस्सा व वादी हरप्रीत सिंह के नाम से दर्ज 329/1012 हिस्सा रकबा का प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से वादीगण सुखदीप सिंह व हरप्रीत सिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

...सेन सिंह के नाम से दर्ज किया जावे। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है, ताकि सनद रहें।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 10 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालिया, खाता संख्या 112/81, 2073–2076 ग्राम 10 वाई, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालिया, खाता संख्या 58/78, पेश की। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जो जमाबंदी पर स्वीकृत नामांतकरण 473/15.06.2020 विरास्तन का नोट अंकित है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझोता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प–5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8–9–97 के अनुसार सहकृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

–:: आदेश ::–

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement *If during pendency of a suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर वाद निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है :–

तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 10 वाई के खाता संख्या 58/78 का मुरब्बा नम्बर 7 की 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से दर्ज 4/5 हिस्सा रकबा का व इसी चक 10 वाई के खाता संख्या 112/81 के मुरब्बा नम्बर 7 व 25 की कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा रकबा का वादीगण सुखदीप सिंह व हरप्रीत सिंह को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह का नाम कलमजन कर उक्त रकबा वादीगण सुखदीप सिंह व हरप्रीत सिंह के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी प्रकार तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 7 वाई के खाता संख्या 65/50 का मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि में से वादी सुखदीप सिंह के नाम से दर्ज 411/1265 हिस्सा व वादी हरप्रीत सिंह के नाम से दर्ज 329/1012 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से वादीगण सुखदीप सिंह व हरप्रीत सिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम सिंह के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान

कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.01.2023 को जारी किया गया।

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:51 IST
Reason: SelfAttested